"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 435] रायपुर, सोमवार, दिनांक 4 अगस्त 2014— श्रावण 13, शक 1936

परिवहन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 4 अगस्त 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ 5-5/आठ - परि./2014.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय एवं अलिपिक वर्गीय) परिवहन सेवा भर्ती नियम, 2013 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में,-

नियम 11 के उप-नियम (1) के खण्ड (दो) के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"(तीन) सेवा में नियुक्ति के लिये लिखित परीक्षा, ऐसी एजेंसी के द्वारा समय-समय पर आयोजित की जायेगी, जिसको नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, शासन के परामर्श से, समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जायेगा."

No. F 5-5/viii-Trans/2014 .— In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following amendment in the Chhattisgarh Class-III (Clerical and Non-Clerical) Transport Service Recruitment Rules, 2013, namely :-

AMENDMENT

In the said rules,-

After Clause (ii) of sub-rule (1) of Rule 11, the following shall be inserted, namely :-

"(iii) Written examination from time to time shall be conducted for appointment in the service by such agency, which shall be specified from time to time by the Appointing Authority in consultation with the Government."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. टोप्पो, संयुक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2014.